बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

संख्या–5/विविध–13/2005– 2456 दिनांक– 7/7/08

अधिसूचना

विषयः– केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 जिसे दिनांक–01/01/08 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया है के आलोक में समितियों का गठन।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 जिसे दिनांक–01/01/08 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया है, के आलोक में निम्नप्रकार से समितियों का गठन किया जाता हैः–

1– ग्राम वन अधिकार समिति– (1) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं का संयोजन किया जाएगा और उसके पहले अधिवेशन में वह अपने सदस्यों में से कम से कम दस किन्तु पंद्रह से अनधिक व्यक्तियों को वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करेंगे जिसमें कम से कम एक–तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे ।

परन्तु ऐसे सदस्यों में सें कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होगी ;

परन्तु यह और कि जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं वहां ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी ।

(2) वन अधिकार समिति अध्यक्ष और सचिव का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना अनुमंडल स्तर की वन अधिकार समिति को देगी ।

(3) जब वन अधिकार समिति का कोई सदस्य व्यष्टिक वन अधिकार का दावेदार भी है तब वह उसकी सूचना समिति को देगा और जब उसके दावे पर विचार किया जाएगा तब वह सत्यापन कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा ।

2. ग्राम वन अधिकार समिति के कृत्य– (1) ग्राम सभा समिति–

(क) वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का अवधारण करने के लिए कार्यवाही आरंभ करेगी और उससे संबंधित दावों की सुनवाई करेगी,

(ख) वन अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करेगी और दावेदारों और उनके दावों के ऐसे ब्यौरों का एक रजिस्टर रखेगी जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे,

(ग) वन अधिकारों के संबंध में दावों पर संकल्प, हितबद्ध व्यक्तियों और संबंधित प्राधिकारियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पारित करेगी और उन्हें अनुमंडल स्तर की समिति को भेज देगी,

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन पुनर्व्यवस्थापन पैकेजों पर विचार करेगी, और

(ड.) अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए वन्यजीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करेगी ।

(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा होगी,

परन्तु जहां किसी गांव में अनुसूचित जनजातियों और गैर–अनुसूचित जनजातियों की विषम जनसंख्या है वहां अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(3) ग्राम सभा को राज्य के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

<u>3– अनुमंडल स्तर की वन अधिकार समिति –</u> राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमंडल स्तर की समिति का गठन किया जाता है,:–

(क) अनुमंडल पदाधिकारी या समतुल्य अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) अनुमंडल का भारसाधक, वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी – सदस्य

(ग) ब्लॉक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूह के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं है वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी; या संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद या अन्य समुचित जोनल स्तर की परिषद द्वारा नाम निदेशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी, और

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी या भारसाधक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी ।

<u>4– अनुमंडल स्तर की वन अधिकार समिति के कृत्य</u> – अनुमंडल स्तर की समिति –

(क) प्रत्येक ग्राम सभा को माजुक पेड–पौधे और जीव–जन्तु के संदर्भ में, जिन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, वन्य जीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में उनके कर्तव्यों और वन अधिकारों के धारक के कर्तव्यों तथा अन्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी ।

(ख) ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी ,

(ग) संबद्ध ग्राम सभाओं के सभी संकल्पों को एक साथ मिलाएगी,

(घ) ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गये मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी ।

(ड.) दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और मानचित्रों की परीक्षा करेगी,

(च) किन्हीं वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के संबंध में ग्राम सभाओं के बीच विवादों की सुनवाई करेगी और उनका न्यायनिर्णयन करेगी,

(छ) ग्राम सभाओं के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत राज्य अभिकरण भी है अर्जियों की सुनवाई करेगी ।

(ज) अतः अनुमंडल दावों के लिए अनुमंडल स्तर की समितियों के साथ समन्वय करेगी,

(झ) सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य के पश्चात प्रस्तावित वन अधिकारों के ब्लॉक या तहसील वार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी ,

(ञ) प्रस्तावित वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अंतिम विनिश्चय के लिए अग्रेषित करेगी,

(ट) वन निवासियों में अधिनियम के अधीन और नियमों में अधिकथित उद्देश्यों और प्रकियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगी,

(ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपाबंध – 1 (प्रारूप क और ख) में यथा उपबंधित प्रोफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी,

(ड) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ ,मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति में किए जाते हैं ।

5. <u>जिला स्तर की वन अधिकार समिति –</u> राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तर की समिति का गठन की जाती है :–

(क) जिला कलक्टर – अध्यक्ष

(ख) संबद्ध खंड वन अधिकारी या संबद्ध उप वन संरक्षक – सदस्य

(ग) जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे ,जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी, या संविधान की छठीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् या समुचित जोनल स्तर की परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी, और

(घ) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग का जिले का जिला कल्याण पदाधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहां जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्य का भारसाधक अधिकारी ।

<u>6– जिला स्तर की वन अधिकार समिति के कृत्य –</u> जिला स्तर की समिति –

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खंड (ख) के अधीन अपेक्षित जानकारी ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को उपलब्ध करा दी गई है,

(ख) इस बारे में परीक्षा करेगी कि क्या सभी दावों, विशेषकर आदिम जनजातीय समूहों, पशु चारकों और यायावर जनजातियों के सभी दावों का अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान कर दिया गया है,

(ग) अनुमंडल स्तर की वन अधिकार समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के दावों और अभिलेख पर विचार करेगी और अंतिम रूप से उनका अनुमोदन करेगी,

(घ) अनुमंडल स्तर की समिति के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों से अर्जियों की सुनवाई करेगी,

(ङ.) अंतःजिला दावों के संबंध में अन्य जिलों के साथ समन्वय करेगी,

(च) सुसंगत सरकारी अभिलेखों, जिनके अंतर्गत अधिकारों का अभिलेख भी है, में वन अधिकारों के समावेशन के लिए निदेश जारी करेगी,

(छ) जैसे ही अभिलेख को अंतिम रूप दे दिया जाए, वन अधिकारों के अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी, और

(ज) यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधीन और इन नियमों के उपाबंध 2 और 3 में यथाविनिर्दिष्ट वन अधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्रमाणित प्रति संबद्ध दावेदार और संबंधित ग्राम सभा को दे दी गई है ।

7. राज्य स्तर की वन अधिकार निगरानी समिति – राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य स्तर की वन अधिकार निगरानी समिति का गठन किया जाता है :–

(क)	मुख्य सचिव	– अध्यक्ष,
(ख)	प्रधान सचिव/सचिव,राजस्व एवं भुमि सूधार विभाग	– सदस्य,
(ग)	प्रधान सचिव/सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग	– सदस्य,
(घ)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	– सदस्य,
(ङ.)	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	– सदस्य,
(च)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	– सदस्य,
(छ)	श्री जय प्रकाश उरॉव, कोर्ट स्टेशन, न्यु जे0पी0नगर,पूर्णिया	– सदस्य
(ज)	श्री के0पी0मंडल,बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी,कंकड़बाग,पटना	– सदस्य
(झ)	श्री शिवशंकर सिंह, पुराना थाना के सामने,बुद्धा कॉलोनी,पटना	– सदस्य।
( )	प्रधान सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ।	– सदस्य–संचिव ।

8. राज्य स्तर की वन अधिकार निगरानी समिति के कृत्य – राज्य स्तर की निगरानी समिति –

(क) वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रकिया की निगरानी के लिए मानदंड और संकेतक तय करेगी,

(ख) राज्य में वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रकिया की निगरानी करेगी,

(ग) वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रकिया के संबंध में छह मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और नोडल अभिकरण को ऐसी विवरणियां और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिनकी नोडल अभिकरण द्वारा मांग की जाए,

(घ) अधिनियम की धारा 8 में यथावर्णित सूचना की प्राप्ति पर अधिनियम के अधीन संबद्ध प्राधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करेगी,

(ङ.) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन पुनर्स्थापन की निगरानी करेगी।

समिति आवश्यकता अनुसार किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी/विशेषज्ञ या अन्य व्यक्ति को बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विजय प्रकाश)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/विविध–13/2005– 2456 पटना, दिनांक– 7/7/08

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/ सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/सभी प्रधान सचिव एवं सचिव, सरकार के सभी विभाग/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/ श्री जय प्रकाश उरॉव, कोर्ट स्टेशन, न्यु जे0पी0नगर,पूर्णिया/ श्री के0पी0मंडल,बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी,कंकड़बाग,पटना/ श्री शिवशंकर सिंह, पुराना थाना के सामने,बुद्धा कॉलोनी,पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय/ माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग / सभी मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग /सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं वन विभाग / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/विविध–13/2005– 2456 पटना, दिनांक– 7/7/08

प्रतिलिपि– सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/विविध–13/2005– 2456 पटना, दिनांक– 7/7/08

प्रतिलिपि– सभी अध्यक्ष, जिला परिषद/ सभी प्रमुख, पंचायत समिति/ सभी मुखिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/विविध–13/2005– 2456 पटना, दिनांक– 7/7/08

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रनालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

Forest dwellers act-2007-notification